

LE-231
B.COM. LL.B. (IV Sem.) (NEW COURSE)
Examination JULY-AUG. 2022
Compulsory/Optional
Group-
Paper-

Name/Title of Paper- LAW OF CRIMES II (CRIMINAL PROCEDURE CODE, JUVENILE ACT AND PROBATION OF OFFENDER ACT)
Time: Three Hours

Maximum Marks-100
Minimum Passing Marks-036

नोट: सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिये। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

Note: Attempt all questions. All questions carry equal marks.

इकाई/Unit-I

1. भरण पोषण से आप क्या समझते हैं? पत्नी, संतान और माता-पिता के भरण पोषण का आदेश किन परिस्थितियों में परिवर्तित या रद्द किया जा सकता है?

What do you understand by maintenance? In what circumstances can the order of the maintenance of wife, children and parents be changed or attened?

अथवा/Or

पुलिस अधिकारियों द्वारा तलाशी संबंधी कार्यवाही करने की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

Describe the brief the procedure to be adopted by police officers for taking search.

इकाई/Unit-II

2. "अग्रिम जमानत" से आप क्या समझते हैं? दण्ड प्रक्रिया संहिता में अग्रिम जमानत संबंधी दिये गये प्रावधान का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

What do you understand by "Anticipatory Bail"? Give a critical appraisal of the processing relating to the anticipatory bail under the criminal procedure code?

अथवा/Or

वे कौन सी परिस्थितियाँ हैं जिनमें विभिन्न अपराध करने वाले विभिन्न व्यक्ति संयुक्त रूप से आरोपित और विचारित किये जा सकते हैं?

What are those circumstances in which different offered can be charged and tried jointly?

इकाई/Unit-III

3. सत्र न्यायालय द्वारा विचारण में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।

State briefly the procedure to be followed by the Court of Session in trials.

अथवा/Or

निर्देश, पुनरीक्षण एवं अपील में अंतर स्पष्ट कीजिए।

Distinguish between Reference, Revision and Appeals.

इकाई/Unit-IV

4. किशोर न्याय अधिनियम के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की विवेचना कीजिए।

Discuss the aim and objects of the Juvenile Justice Act.

अथवा/Or

परिवीक्षा अधिकारी को परिभाषित कीजिए। इनकी नियुक्ति एवं कर्तव्यों की विवेचना कीजिए।

Define Probation Officer. Discuss their appointment and duties.

इकाई/Unit-V

5. आर. बालकृष्ण पिल्लई विरुद्ध केरल राज्य ए.आई.आर. 1996 सु.को. 901 के वाद के तथ्य एवं विधि के प्रतिपादित सिद्धांतों की विवेचना कीजिए।

Discuss the facts and principles of law laid down in the case of R. Balkrishna Pillai Vs State of Kerla AIR 1996 S.C. 901.

अथवा/Or

इन्दर सिंह विरुद्ध म.प्र. राज्य एम.पी.एल.जे. 1990 पृ. 365 के वाद के तथ्य एवं विधि के प्रतिपादित सिद्धांतों की विवेचना कीजिए।

Discuss the facts and principles of law laid down in the case of Inder Singh Vs M.P. State M.P.L.J. 1990 Page 365.